संख्या -2/2020 / ए-1-83 /दस-2020-10(48)/ 2013

प्रेषक,

पंकज सक्सेना ,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

**वित्त (लेखा) अनुभाग-1** **लखनऊ : दिनांक : 21 जनवरी, 2020**

**विषय :** वेतन सम्बन्धी आयकर की कटौती-आयकर अधिनियम-1961 की धारा-192 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के परिपत्र के सम्बन्ध मे।

**महोदय,**

उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत् परिपत्र शासनादेश संख्या-1/2020/ए-1-02भा0स0/दस-2020-10(48)/2013, दिनांक 21 जनवरी, 2020 http://shasanadesh.up.gov.in पर उपलब्ध है।

2- अत: अनुरोध है कि कृपया अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि उक्त परिपत्र को आवश्यकतानुसार डाउनलोड करना चाहें।

भवदीय,
पंकज सक्सेना
विशेष सचिव ।

संख्या - 2 /2020 / ए-1-83 (1) /दस-2020-10(48)/2013, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महामहिम राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव /सचिव उत्तर प्रदेश।
(2) प्रमुख सचिव विधान सभा एवं प्रमुख सचिव विधान परिषद् उत्तर प्रदेश।
(3) सचिवालय के समस्त अधिष्ठान अनुभाग।
(4) सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इन अनुदेशों से राज्य के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों को अवगत कराने का कष्ट करें।
(5 ) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(6) वेतन एवं लेखाधिकारी, यू0पी0 भवन, नई दिल्ली।
(7) निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,
पंकज सक्सेना
विशेष सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in